2024/315

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2024 (राजसमन्द आर्डर)

1. रामलाल पिता गोपीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी ढिंकला का भागल, कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. हिम्मतलाल उर्फ हीमालाल पिता गोपीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी ढिंकला का भागल, कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. लहरूलाल उर्फ लेहरूलाल पिता गोपीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी ढिंकला का भागल, कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. अम्बालाल पिता गोपीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी ढिंकला का भागल, कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती देउबाई पत्नी गोपीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी ढिंकला का भागल, कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

लेहरसिंह पिता कीकसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी बाघसिंह जी का नाडा, ग्राम पंचायत कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द।

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अ.–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द दि0
30.08.2024 प्रकरण सं0 131/23

———/———

उपस्थित :– 1. श्री प्रवीण मण्डोवरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मुकेश त्रिपाठी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 15–04–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बाघसिंह जी का नाडा में आराजी नंबर 2339 रकबा 0.2023 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण के हक आधिपत्य व कब्जेशुदा है। उक[illegible]यात में प्रार्थीगण प्रत्येक का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:29 IST
Reason: SelfAttested

1/30 हिस्सा है अर्थात संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपने पूर्वाधिकारी के समय से अर्थात करीब 50 वर्षो से पुरानी पत्थर की दीवाल बना रखी है, किन्तु विपक्षी अवैध रूप से प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा करीब 3 माह पूर्व नाजायज रूप से प्रवेश कर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा मना करने पर नहीं मान रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जावे।

2. विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अलावा अन्य भी सहखातेदार हैं, जो मौखिक बंटवारे अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षी ने खाता संख्या 65 के खातेदार रूपलाल ने उनके हिस्से में आयी भूमि में से पूर्व से पश्चिम के बीच 16 फिट चौड़ाई व उत्तर से दक्षिण 50 फिट चौड़ाई में संवत 2065 में भूमि क्रय की तब से विपक्षी का कब्जा चला आ हा है। क्रय पश्चात विपक्षी ने तीन कमरों का निर्माण करवाया। विपक्षी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–08–2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश त्रिपाठी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मण्डोवरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट अनरजिस्टर्ड स्टाम्प के जरिये लिखा पढ़ी कर 40,000/– रूपये में भूमि क्रय करना बताया है तथा उसी क्रय के आधार पर निर्माण करना बताया है, जबकि किसी भी सम्पत्ति का विक्रय पत्र पंजीकृत होना आवश्यक है। अपंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त लिखा पढ़ी पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं है, न कि उनके द्वारा कोई सहमति प्रदान की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 42 का उल्लंघन करना माना है, जबकि अपीलान्ट द्वारा जब कोई विक्रय ही नहीं किया गया है तो धारा 42 के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

6. उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट के अलावा अन्य सहखातेदार भी हैं, जो मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा शान्ति पूर्वक चला आ रहा है, उनके द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थीगण अन्य सहखातेदारों के साथ विवादित भूमि के सहखातेदार दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक 100/– रूपये के स्टाम्प पर एक लिखा–पढ़ी संलग्न है, जिसके अनुसार रेस्पोन्डेन्ट द्वारा 40,000/– हजार रूपये में संवत् 2065 में रूपलाल से उक्त भूमि क्रय करना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–08–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 15–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:29 IST
Reason: SelfAttested